2009 का विद्येयक सं. 21

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विद्येयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

2009 का विद्येयक सं. 21

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)

विद्येयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 12 का संशोधन.– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 की विद्यमान उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

''(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए पांच से अन्यून वार्डों की संख्या अवधारित करेगी, और ऐसा होने पर पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, संपूर्ण पंचायत सर्किल में समान हो।''।

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 13 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

''(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए पंद्रह से अन्यून

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी, और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में समान हो।''।

4. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 14 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 14 की विद्यमान उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद् के लिए सत्रह से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी, और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, संपूर्ण जिला परिषद् क्षेत्र में समान हो।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विद्यमान धारा 12, 13 और 14 को, प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए न्यूनतम वार्डो को नियत करते हुए और जनसंख्या के अनुसार वार्डो की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार वार्डों की संख्या एक समान रहे। इस संशोधन के द्वारा, वार्डो की संख्या और जनसंख्या अनुपात में महसूस की गयी असमानता दूर की जायेगी क्योंकि सरकार को जनसंख्या के अनुसार वार्डों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भरत सिंह,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 से लिये गये उद्धरण

(1994 का अधिनियम सं. 13)

XX XX XX XX

12. पंचायत की संरचना.– (1) XX XX

XX (2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए वार्डों की संख्या अवधारित करेगी, और ऐसा होने पर पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत सर्किल में समान हो।

13. पंचायत समिति की संरचना .– (1) XX XX

XX (2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में समान होः

परन्तु एक लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, एक लाख

से अधिक के प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिए, पन्द्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।

14. जिला परिषद् की संरचना.– (1) XX XX XX

(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद् क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण जिला परिषद् क्षेत्र में समान होः

परन्तु चार लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसंख्या चार लाख से अधिक है, चार लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए, सत्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।

XX XX XX XX

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(भरत सिंह, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 21 of 2009

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorized English Translation)

Bill No. 21 of 2009

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:**-**

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- For the existing **s**ub-section (2) of section 12 of the Rajasthan Panchayati Raj Act,

1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:–

"(2) The State Government shall, in accordance with such rules as may be framed in this behalf, determine the number of the wards, not being less than five for each Panchayat Circle, and thereupon so divide the Panchayat Circle into single member ward that the population of each ward is, so far as practicable, the same throughout the Panchayat Circle.".

3. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- For the existing sub-section (2) of section 13 of the principal Act, the following shall be substituted, namely: –

"(2) The State Government shall, in accordance with such rules as may be framed in this behalf, determine the number of territorial constituencies not being less than fifteen, for each Panchayat Samiti area and thereupon so divide such area into single member territorial constituencies that the population of each territorial constituency is,

so far as practicable, the same throughout the Panchayat Samiti area.".

4. Amendment of section 14, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- For the existing sub-section (2) of section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely: –

"(2) The State Government shall, in accordance with such rules as may be framed in this behalf, determine the number of territorial constituencies, not being less than seventeen, for each Zila Parishad area and thereupon, so divide such area into single member territorial constituencies that the population of each territorial constituency is, so far as practicable, the same throughout the Zila Parishad area.".

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing sections 12, 13 and 14 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 proposed to be amended by fixing the minimum wards for each Panchayat Circle and to enable the Government to enlarge the number of wards according to the population, so that the number of wards is constant as per the population in each territorial constituency. By this amendment the disparity felt in number of wards and population ratio will be removed since the Government is empowered to increase the number of wards according to population.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

भरत सिंह,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ ACT, 1994

(Act No. 13 of 1994)

XX XX XX XX

12. Composition of a Panchayat.-(1) XX XX

(2) The State Government shall, in accordance with such rules as may be framed in this behalf, determine the number of wards for each Panchayat Circle, and thereupon so divide the Panchayat Circle into single member wards that the population of each wards is, so far as practicable, the same throughout the Panchayat Circle.

13. Composition of a Panchayat Samiti.-

(1) XX XX XX XX XX

(2) The State Government shall, in accordance with such rules as may be framed in this behalf, determine the number of territorial constituencies for each Panchayat Samiti area

and thereupon so divide such area into single member territorial constituencies that the population of each territorial constituency is, so far as practicable, the same throughout the Panchayat Samiti area:

Provided that a Panchayat Samiti area having population not exceeding one lakh shall consist of fifteen constituencies and in case of a Panchayat Samiti area whose population exceeds one lakh, then for every fifteen thousand or part thereof in excess of one lakh, the said number of fifteen shall be increased by two.

14. Composition of a Zila Parishad.-(1) XX XX

(2) The State Government shall, in accordance with such rules as may be framed in this behalf, determine the number of territorial constituencies for each Zila Parishad area and thereupon so divide such area into single member territorial constituencies that the population of each territorial constituency is, so far as practicable, the same throughout the Zila Parishad area:

Provided that a Zila Parishad area having population not exceeding four lakhs shall consist of seventeen constituencies and in case of a Zila Parishad area whose population exceeds four lakhs, then for every one lakh or part thereof in excess of four lakhs, the said number of seventeen shall be increased by two.

XX XX XX XX

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

Further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H.R. KURI,
Secretary.

(BHARAT SINGH, **Minister-Incharge)**